संख्याः 1315 / VII-1/63–ख/2014

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग विभाग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 22 अगस्त, 2016**

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आयोजनागत पक्ष की योजनाओं में आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–939/लेखा/बजट/आयोजनागत/2016–17 दिनांक 9 अगस्त, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 में अनुदान सं० 23 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजनाएं क्रमशः खनन प्रशासन का अधिष्ठान एवं पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजनान्तर्गत **₹ 52433 हजार (₹ पांच करोड़ चौबीस लाख तैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	लेखाषीर्शक/योजना/मद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	**2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग,** **02–खानों का विनियमन तथा विकास** **001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)** **03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान**	
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000
	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1200
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	8333
	29–अनुरक्षण	3333
	42– अन्य व्यय	834
	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	667
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	533
	योग	**15900**
2	**2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग,** **02–खानों का विनियमन तथा विकास–** **102–खनिज खोज** **03–पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना**	
	02–मजदूरी	400
	04–यात्रा व्यय	267
	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	333
	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25333
	19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	200
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10000
	योग	**36533**
कुल योग		**52433**

(1) प्रश्नगत धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण किश्तों में किया जायेगा।

(2) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फॉट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(5) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षकों के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या– 1315 (1)/VII-1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
संयुक्त सचिव